[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या 16 एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह 16 अगस्त, 2024 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 10 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में,–

(क) उप–धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"(4क) (i) प्रत्येक नगर परिषद्/समिति में पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगर परिषद्/समिति में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस नगर परिषद्/समिति की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या के अनुपात की आधा होंगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग 'क' के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, से प्राप्त पिछड़े वर्ग 'ख' के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की अधिकतम तीन गुणा में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा आबंटित की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित की जाएंगी :

परन्तु नगर परिषद्/समिति में कम से कम एक सदस्य, पिछड़े वर्ग 'ख' से सम्बन्धित होगा, यदि उनकी जनसंख्या, नगर परिषद्/समिति की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है :

परन्तु यह और कि जहाँ इस उप–धारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस नगर परिषद्/समिति

में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'क' तथा पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस नगर परिषद्/समिति में कुल सीटों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.– (1) इस उप–धारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'ख' के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगर परिषद्/समिति क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगर परिषद्/समिति में पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।

व्याख्या.– (2) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों हेतु, नगर परिषद्/समिति में कुल सीटों का पचास प्रतिशत, जहां दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए अथवा जहां दशमलव मान 0.5 से निम्न है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए, नगर परिषद्/समिति की कुल सीटों के आधे के रूप में ली जाएगी।

(ii) इस उप–धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग 'ख' से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप–धारा के अधीन आरक्षित वार्डों में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आबंटित किया जा सकता है।";

(ख) उप–धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(5) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'क', पिछड़े वर्ग 'ख' तथा महिलाओं से सम्बन्धित सदस्यों में से यथा विहित रीति में चक्रानुक्रम तथा लॉट द्वारा भरे जाएंगे।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243न में वर्णित आरक्षण नीति द्वारा पालिकाओं की संरचना निर्देशित होती है, इसके खंड (6) में प्रावधान है कि "इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान–मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी पालिका में स्थानों के या पालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।" भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ***डॉ0 के0 कृष्ण मूर्ति व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2010) 7 एस.सी.सी. 202*** के मामले में दिनांक 11.05.2010 के अपने निर्णय में अनुच्छेद 243न (6) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह प्रावधान राज्य विधानमंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटें और अध्यक्ष के पद आरक्षित करने में सक्षम बनाता है।

2. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 की याचिका (सिविल) संख्या 980 शीर्षक विकास किशनराव गवाली बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में दिनांक 04.03.2021 को पारित अपने फैसले के माध्यम से आगे कहा कि राज्य विधान, राज्य भर में, एक स्वतंत्र आयोग द्वारा पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की उचित जांच के बिना स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की एक समान और कठोर मात्रा प्रदान नहीं कर सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने से पहले राज्य द्वारा अनुपालन की जाने वाली तीन परीक्षण शर्तों का निम्नानुसार पालन किया जाना अपेक्षित है–

(1) राज्य में स्थानीय निकायों के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना;

(2) आयोग की सिफारिशों के दृष्टिगत, स्थानीय निकाय–वार प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण के अनुपात को विनिर्दिष्ट करना, ताकि अत्याधिकता न हो; और

(3) किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में 50 प्रतिशत ऊध्वार्धर आरक्षण की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा।

एक अन्य याचिका (सिविल) संख्या 278 का 2022 शीर्षक 'सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य', में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.2022 में कहा गया है कि जब तक राज्य सरकारों द्वारा 'सभी तरह से' ट्रिपल टैस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं की जाती है, तब तक राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता है और सभी राज्य सरकारों व सम्बन्धित राज्य चुनाव आयोगों को संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए इसका पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

आगे, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 18977–2021 में सी.एम.–3239–सी.डब्लयू.पी.–2022 के साथ सिविल याचिका संख्या 21883–2021 में सी.एम.–3200–सी.डब्लयू.पी.–2022 में दिनांक 17.05.2022 को पारित अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2022 को पारित किए आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए गये हैं।

3. सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.07.2022 द्वारा, अन्य कार्यों के साथ–साथ, राज्य में, पंचायती राज संस्थाओं और

पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए किए जाने वाले प्रावधान में आरक्षण के अनुपात का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इससे पहले, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने पालिकाओं के चुनावों में पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की थी, जिसे मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 08.05.2023 में स्वीकार कर लिया गया था। तदानुसार, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा–10 के तहत 2023 के अधिनियम संख्या 24 दिनांक 19.09.2023 के तहत प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक पालिका में पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस पालिका में कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस पालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़ा वर्ग 'क' की जनसंख्या के अनुपात की आधी होंगी।

4. भारत में अंतिम जनगणना जिसमें जाति आधारित आंकड़ें शामिल किये गये थे, 1931 में की गई थी। 1951 के बाद से प्रत्येक जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रकाशित की गई है। इस प्रकार जनगणना में पिछड़ा वर्ग 'क' की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत परिवार सूचना डाटा कोष (एफ.आई.डी.आर.) की स्थापना की है, जिसमें परिवारों में गठित हरियाणा के निवासियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है जिसे गतिशील रूप से अद्यतन और समय–समय पर सत्यापित किया जाता है।

5. इसलिए, पालिकाओं के चुनावों में पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षण के प्रयोजनार्थ एफ.आई.डी.आर. में उपलब्ध आंकड़ों पर विचार किया गया है। पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए सीटों का आरक्षण और प्रत्येक पालिका के लिए पिछड़े वर्ग 'क' सहित सीटों की कुल संख्या, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या के आधार पर नियत की जाएगी।

6. मतदाता–जनसंख्या (ईपी) अनुपात के अनुसार, राज्य में, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर योग्य मतदाताओं की संख्या लगभग 700 है। चूंकि, परिवार पहचान पत्र के लिए नामांकन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और इस बात की संभावना है कि कुछ क्षेत्रों में अधिकांश निवासियों ने एफ.आई.डी.आर. में पंजीकरण नहीं कराया हो, इस प्रकार यह भी विचार किया गया है कि जहां परिवार सूचना डाटा कोष से ली गई जनसंख्या, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत से कम है, तो क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत के बराबर जनसंख्या पर विचार किया जाएगा। आगे, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के परामर्श से हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 के नियम 7 में संशोधन करके पालिका के वार्डों में जनसंख्या भिन्नता की सीमा को प्रति वार्ड औसत जनसंख्या से ऊपर या नीचे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है।

7. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पदों में पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आठ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के परामर्श से, हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 70क के तहत प्रावधान किया गया है।

8. अब, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 के माध्यम से पालिकाओं के चुनावों में पिछड़ा वर्ग 'ख' के लिए भी आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है कि प्रत्येक पालिका में पिछड़ा वर्ग 'ख' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस पालिका में कुल सीटों की संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस पालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़ा वर्ग 'ख' की जनसंख्या के अनुपात की आधी होंगी। नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों में पिछड़ा वर्ग 'ख' को आरक्षण का प्रावधान करने के लिए दिनांक 16.08.2024 को अध्यादेश क्रमांक 2024 का 2 प्रख्यापित किया गया है।

आगे, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के कार्यालयों में पिछड़ा वर्ग 'ख' के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की गई है, जिसके लिए राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा के परामर्श से, हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 70क के तहत प्रावधान किया जाना है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ट्रिपल टैस्ट की तीसरी शर्त के अनुपालन में, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग 'क' तथा पिछड़ा वर्ग 'ख' के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या, पालिका में कुल सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि ऐसा होता है तो प्रथम पिछड़ा वर्ग 'ख' तथा तदोपरान्त पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग 'क' तथा पिछड़ा वर्ग 'ख' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, उस पालिका में कुल सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पिछड़ा वर्ग 'ख' के लिए प्रत्येक पालिका में सीटों का आरक्षण, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए को, हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष पर उपलब्ध है, की जनसंख्या के आधार पर नियत की जाएगी।

10. इसलिए, प्रत्येक पालिका की सीटों में पिछड़े वर्गों 'ख' के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के लिए, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन किया जाना आवश्यक है, जोकि दिनांक 16.08.2024 से यानी अध्यादेश क्रमांक 2024 के 2 को अधिसूचित करने की तारीख से प्रभावी होगा।

विपुल गोयल,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 7 नवम्बर, 2024.

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 7 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 से उद्धरण

10. स्थानों का आरक्षण.–

(1) XXX XXX XXX XXX XXX

(2) XXX XXX XXX XXX XXX

(3) XXX XXX XXX XXX XXX

(4) XXX XXX XXX XXX XXX

(5) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद सामान्य प्रवर्ग, अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग 'क' से सम्बन्धित सदस्यों तथा महिलाओं में से चक्रानुक्रम तथा लॉट द्वारा विहित रीति में भरे जायेंगे।

(6) XXX XXX XXX XXX XXX

(7) XXX XXX XXX XXX XXX

(8) XXX XXX XXX XXX XXX

11389–H.V.S.–H.G.P.,Pkl.